



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03072026-274064
CG-DL-E-03072026-274064

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3474]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 3, 2026/आषाढ 12, 1948

No. 3474]

NEW DELHI, FRIDAY, JULY 3, 2026/ASHADHA 12, 1948

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 जुलाई, 2026

का.आ. 3609(अ).— केंद्र सरकार, आयकर अधिनियम, 2025 (2025 का 30) (एतश्मिन् पश्चात् जिसे उक्त अधिनियम से सन्दर्भित किया) की धारा 147 के साथ पठित धारा 400(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा, यह निर्दिष्ट करती है कि उक्त अधिनियम की धारा 393(1) [तालिका क्रमांक 2] के अंतर्गत किसी व्यक्ति (एतश्मिन् पश्चात् पट्टाधारक के रूप में सन्दर्भित) द्वारा किसी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र की इकाई (एतश्मिन् पश्चात् पट्टाकर्ता के रूप में से सन्दर्भित) को किसी वायु-यान (एयरक्राफ्ट) के पट्टे के लिए किए गए पट्टे के किराए या पूरक पट्टे के किराए के भुगतान पर कोई कर कटौती नहीं की जाएगी, बशर्ते निम्नलिखित शर्तें लागू हों:-

1. (1) पट्टाकर्ता –

(क) पट्टाधारक को इस अधिसूचना के साथ संलग्न प्रपत्र सं. 1(एन) (एतश्मिन् पश्चात् जिसे उक्त प्रपत्र के रूप में सन्दर्भित) में एक विवरण-सह-घोषणा प्रस्तुत करेगा, जिसमें उन बीस निरंतर कर वर्षों का विवरण दिया गया हो जिनके लिए पट्टाकर्ता उक्त अधिनियम की धारा 147 के तहत कटौती का दावा करने का विकल्प चुनता है; और

(ख) ऐसा विवरण-सह-घोषणा उक्त प्रपत्र में निर्दिष्ट प्रकार से उन बीस लगातार कर वर्षों में से प्रत्येक कर वर्ष के लिए प्रस्तुत और सत्यापित किया जाएगा, जिसके लिए पट्टाकर्ता उक्त अधिनियम की धारा 147 के तहत कटौती का दावा करने का विकल्प चुनता है;

(2) पट्टाधारक –

(क) पट्टाकर्ता से उक्त प्रपत्र में विवरण-सह-घोषणा की प्रति प्राप्त होने की तिथि के बाद से पट्टाकर्ता को किए गए या जमा किए गए भुगतान पर कर की कटौती नहीं करेगा; और

(ख) आयकर नियम, 2026 के नियम 219 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 397(3)(ख) में उल्लिखित कर कटौती विवरण में पट्टाकर्ता को किए गए उन सभी भुगतानों का विवरण भी प्रस्तुत करेगा जिन पर इस अधिसूचना के मद्देनजर कर की कटौती नहीं की गई हो।

2. उपरोक्त छूट पट्टाकर्ता को केवल उन बीस लगातार कर वर्षों के दौरान ही उपलब्ध होगी, जिन्हें पट्टाकर्ता द्वारा उक्त प्रपत्र में घोषित किया गया हो जिसके लिए धारा 147 के तहत कटौती का विकल्प चुना जा रहा है, और पट्टाधारक किसी भी अन्य वर्ष के लिए पट्टे के किराए के भुगतान पर कर कटौती के लिए उत्तरदायी होगा।

3. आयकर (प्रणाली) के प्रधान महानिदेशक या आयकर (प्रणाली) के महानिदेशक, जो भी हों, डेटा के सुरक्षित संग्रहण और प्रसारण तथा दस्तावेजों के अपलोड करने को सुनिश्चित करने के लिए प्रक्रियाएं, प्रारूप और मानक निर्धारित करेंगे और वे उचित सुरक्षा, अभिलेखीय और पुनर्प्राप्ति नीतियों को तैयार करने और लागू करने के लिए भी जिम्मेदार होंगे।

स्पष्टीकरण – इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए,–

(क) “वायु-यान (एयरक्रॉफ्ट)” का वही अर्थ होगा जो उक्त अधिनियम की अनुसूची VI (नोट 3) में दिया गया है;

(ख) “अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र” का वही अर्थ होगा जो विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 (2005 का 28) की धारा 2 के खंड (क्यू) में दिया गया है; और

(ग) “इकाई” का वही अर्थ होगा जो विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 (2005 का 28) की धारा 2 (जेडसी) में दिया गया है।

4. यह अधिसूचना दिनांक 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी मानी जाएगी।

फॉर्म सं. 1(एन)

अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र के वायु-यान (एयरक्रॉफ्ट) को पट्टे पर देने के व्यवसाय में लगी इकाई द्वारा पट्टाधारक (भुगतानकर्ता) को प्रस्तुत किया जाने वाला विवरण-सह-घोषणा पत्र:

भाग-क			
1.	नाम	(नोट 1 देखें)	
2.	पैन		
3.	आईएफएसएफ में स्थित इकाई का नाम	(नोट 1 देखें)	
4.	आईएफएसएफ में स्थित इकाई का पता	(नोट 2 देखें)	
5.	दूरभाष संख्या	देश कोड	संख्या
6.	ईमेल आईडी		
7.	कर वर्ष		

भाग-ख		
8.	“प्रासंगिक कर वर्ष” निर्धारित करने के प्रयोजन से, प्राप्त अनुमति या पंजीकरण का विवरण	
(i)	अनुमति या पंजीकरण प्राप्त किया गया (एक का चयन करें)	(क) बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 23(1)(क); या (ख) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15); या (ग) अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 (2019 का 50); या (घ) आयकर अधिनियम, 2025 (2025 का 30) की धारा 147 में उल्लिखित कोई अन्य प्रासंगिक कानून।
(ii)	प्राधिकारी	
(iii)	दिनांक	दिन/महीना/वर्ष
(iv)	संदर्भ संख्या	
9.	जिस अवधि के लिए कटौती का दावा करने का विकल्प चुना गया है:	
(i)	कर वर्ष से:	
(ii)	कर वर्ष तक:	
10.	वह प्रारंभिक कर वर्ष जिसके लिए कटौती का दावा किया गया था	

कथन-सह-घोषणा

मैं (घोषणाकर्ता का नाम), स्थायी खाता संख्या, (भुगतान प्राप्तकर्ता का नाम) के के रूप में, एतद्वारा, घोषणा करता/करती हूँ कि उपर्युक्त इकाई जहाज पट्टे पर देने के व्यवसाय में लगी हुई है और आयकर अधिनियम, 2025 (30 ऑफ 2025) की धारा 147 के अंतर्गत कटौती के लिए पात्र है।

मैं आगे और भी घोषणा करता/करती हूँ कि उपर्युक्त अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र इकाई ने कर वर्ष..... से कर वर्ष..... तक की अवधि के लिए उक्त कटौती का दावा करने का विकल्प चुना है।

मैं आगे और भी घोषणा करता/करती हूँ कि उपर्युक्त इकाई अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में कार्यरत एक इकाई बनी हुई है और इस कथन-सह-घोषणा को प्रस्तुत किए जाने वाले कर वर्ष के दौरान के व्यवसाय में लगी हुई है।

सत्यापन

मैं (भुगतान प्राप्तकर्ता का नाम) निवासी के रूप में प्रमाणित करता/करती हूँ कि ऊपर दी गई सभी जानकारी सही और पूर्ण है।

स्थान:

घोषणाकर्ता के हस्ताक्षर

दिनांक:

नाम:

पदनाम:

[आयकर अधिनियम, 2025 (30 ऑफ 2025) की धारा 265 के अनुसार आय विवरण पर हस्ताक्षर करने के लिए सक्षम व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना है।]

नोट:-1. नाम पूरा लिखा जाना चाहिए।

नोट:-2. पते में निम्नलिखित जानकारी होनी चाहिए: (i) देश/क्षेत्र, (ii) फ्लैट/दरवाजा/भवन, (iii) सड़क/गली/ब्लॉक/सेक्टर, (iv) पिन/ज़िप कोड, (v) डाकघर, (vi) क्षेत्र/इलाका, (vii) जिला, (viii) राज्य

नोट:-3. फॉर्म में कुछ जानकारी यथासंभव पहले से भरी हो सकती है।

[अधिसूचना सं. 74/2026/फा.सं. 275/16/2026-आईटी(बी)]

राजेन्द्र कुमार मीना, अवर सचिव

स्पष्टीकरण ज्ञापन: एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू होने पर किसी भी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ रहा है।